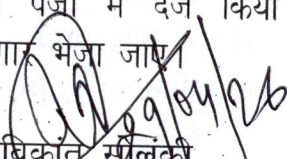


29-04-2026

- 1- डिक्रीदार एच.डी.एफ.सी. बैंक की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
- 2- निर्णीतऋणीगण अनिर्वाहित।
- 3- प्रकरण न्यायशुल्क अदायगी हेतु नियत है।
- 4- प्रकरण में बार-बार पुकार लगवाए जाने के उपरांत भी डिक्रीदार की ओर से कोई उपस्थित नहीं और न ही डिक्रीदार की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित हैं।

 29/04/26

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	5- डिक्रीदार का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायदृष्टांत पेरियम्मल विरुद्ध वी. राजामणी दीवानी अपील क्रमांक 3640-3642/2025 निर्णय दिनांक 06.03.2025 की ओर आकर्षित कराया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संपूर्ण भारत वर्ष के विभिन्न जिला न्यायालयों में विचाराधीन निष्पादन याचिकाओं का निराकरण 06 माह के भीतर करने के निर्देश दिए हैं। 6- प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है, कि प्रकरण में डिक्रीदार को पूर्व पेशी दिनांक पर न्यायालय शुल्क प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था एवं दिनांक 15.04.2026 को डिक्रीदार को न्यायशुल्क पेश करने के लिए समय प्रदान किया गया था, किन्तु न्यायालय के द्वारा आदेशित किए जाने के उपरांत भी डिक्रीदार के द्वारा न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि डिक्रीदार को प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण चलाए जाने में कोई रुचि नहीं है, इसी कारण डिक्रीदार के द्वारा प्रकरण में न्यायशुल्क प्रस्तुत नहीं किए जा रहे हैं। 7- आज दिनांक को भी कई बार पुकार लगवाए जाने के उपरांत भी डिक्रीदार अथवा डिक्रीदार के अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हैं। ऐसी दशा में प्रस्तुत निष्पादन प्रकरण की कार्यवाही इसी प्रक्रम पर निरंतर लंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। 8- अतः यह निष्पादन प्रकरण डिक्रीदार के द्वारा न्यायशुल्क प्रस्तुत न किए जाने एवं डिक्रीदार व उसके अधिवक्ता की अनुपस्थिति के कारण निरस्त किया जाता है। 9- प्रकरण को सी.आई.एस. में UN CIV के रूप में पंजीबद्ध किया जाकर आज दिनांक को सी.आई.एस. में आवश्यक प्रविष्टि की जाए। 10- प्रकरण समाप्त। 11- प्रकरण का परिणाम संबंधित पंजी में दर्ज किया जाकर प्रकरण समय-सीमा में अभिलेखागार भेजा जाएगा।  डॉ. रघुकांत श्रीलक्ष्मी प्रथम जिला न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश देवास (म.प्र.)	